(74)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2512–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 18–7–2016 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार बेगमगंज जिला रायसेन, प्रकरण कमांक 49/अ–27/2013–14.

.....

भगवती प्रसाद आ0श्री बल्देव प्रसाद सक्सैना,
निवासी अभिनव फेस–4, मकान नं. जी–3,
बायपास रोड, अयोध्या बाईपास भोपाल म0प्र0

..... आवेदक

विरूद्ध

1–बाहिद खॉ आ0 कयूम खॉ
2–कदीर खॉ आ0 कयूम खॉ
3–नवेद खॉ आ कयूम खॉ
तीनों निवासीगण वार्ड नं.8 मकबरा मोहल्ला
कस्बा बेगमगंज तहसील बेगमगंज जिला रायसेन
4–उमकार प्रसाद आ0 बल्देव प्रसाद
निवासी ग्राम खेरूआ पडरात तहसील गुलाबगंज
जिला विदिशा विकितचित द्वारा संरक्षक बहन हीराबाई
पुत्री बल्देव प्रसाद पत्नी सुरेश कुमार सक्सैना
निवासी अभिनव फेस–4, मकान नं. 50,
बायपास रोड, अयोध्या बाईपास भोपाल म0प्र0
5–म0प्र0शासन द्वारा तहसीलदार बेगमगंज
जिला रायसेन

..... अनावेदकगण

.....

श्री प्रेमसिंह, अभिभाषक–आवेदक

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 13/5/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार बेगमगंज जिला रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–7–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा तहसीलदार बेगमगंज के समक्ष संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत कस्बा बेगमगंज स्थित भूमि खाता क्रमांक 274 रकबा 254.2, 262, 309, 310, 311, 312, 313/2, 314/2, 315, 316 एवं 317 कुल रकबा 5.262 के बटवारे हेत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 49/अ–27/2013–14 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । प्रकरण प्रचलित रहने के दौरान तहसील के समक्ष अनावेदक क्रमांक 1 व 2 द्वारा व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 के अन्तर्गत पक्षकार बनने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा दिनांक 29–2–16 को आदेश पारित कर अनावेदक क्रमांक 1 व 2 का आवेदन पत्र स्वीकार किया गया । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई और इस न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण क्रमांक 1330–पीबीआर/16 में पारित आदेश दिनांक 27–4–16 से तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण विधिवत् उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देकर निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित किया गया । इस न्यायालय के आदेश के पालन में तहसील न्यायालय द्वारा कार्यवाही प्रारंभ करने पर अनावेदक क्रमांक 3 द्वारा भी व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 के अन्तर्गत पक्षकार बनने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 18–7–16 को आदेश पारित कर आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 3 को पक्षकार बनाया गया । तहसील न्यायालय के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित एवं मौखिक तर्क में मुख्य रूप से यही आधार लिया गया कि अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 3 प्रश्नाधीन भूमि में सहखातेदार नहीं है और न ही उनका किसी प्रकार का कोई स्वत्व है, ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय द्वारा उन्हें पक्षकार बनाया जाने में विधि विरूद्ध कार्यवाही की गई है । यह भी आधार लिया गया कि यदि अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 3 को पक्षकार बनाया जाता है तो उभयपक्ष के मध्य हमेशा विवाद की स्थिति बनी रहेगी

और कभी भी प्रश्नाधीन भूमि के विवाद का निराकरण नहीं होगा । यह भी आधार लिया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा सकारण एवं बोलता हुआ आदेश पारित नहीं किया गया है । उनके द्वारा तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के पूर्व से सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 के पास प्रश्नाधीन भूमि से संबंधित विक्रय पत्र उपलब्ध है, ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 का आवेदन पत्र स्वीकार कर अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 को पक्षकार बनाने में पूर्णतः न्यायिक कार्यवाही की गई है, इसलिये उनका आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार बेगमगंज जिला रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–7–2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर